

परिशिष्ट-4
प्रथम मूल्यांकन पत्रक

चस्पा करने दिनांक 21/3/2026 से

दावा आपत्ति का दिनांक 30/3/2026 तक

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु मूल्यांकन पत्रक

क्र.	आ.बा.केन्द्र का विवरण जिस हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार कर मूल्यांकन किया जा रहा है केन्द्र का नाम/ग्राम पंचायत/वाई व नगरीय निकाय का नाम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत का नाम	जिस पद हेतु आवेदन किया गया है।	कुल प्राप्त आवेदन की संख्या	प्रत्येक आवेदिका का नाम	पिता/पति का नाम	निवास	जाति	वर्ग	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्रादांक	कुल प्रादांक के प्रतिशत 60 के बराबर	विद्यवा परिलक्षकता अथवा तलाक युवा		अनु-जाति/जनजाति होने पर अंक	गरीबी रेखा परिकर से होने पर अंक		कार्यकर्ता/सहायिका होने पर अनुभव		अनुजाति/जनजाति/कन्या शाला में अध्ययन में अंक		कुल प्रादांक	योग्यता क्रम	यदि अपात्र किया गया है कारण लिखें
															विवरण	अंक		कमांक	अंक	विवरण	अंक	विवरण	अंक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	आ.बा.सहायिका आ.बा. केन्द्र गण्डईखुर्द कमांक-02 ग्राम पंचायत गण्डईखुर्द	ग्राम गण्डईखुर्द	आ.बा. सहायिका	5	सविता यादव	संतोष यादव	गण्डईखुर्द	रावत	पि.वर्ग	27वर्ष	8वीं	ग्रेड	A ग्रेड	48	-	-	0	0070 दिनांक- 23.02.2026	6	-	-	-	-	54	प्रथम	
2	-	-	-		भारती	संतोष मेरावी	गण्डईखुर्द	गोड़	अ.ज.जा.	32वर्ष	8वीं	600	309	30.90	-	-	10	-	-	-	-	-	40.90	द्वितीय		
3	-	-	-		सीमा	राजाराम	गण्डईखुर्द	कुर्मी	पि.वर्ग	32वर्ष	8वीं	600	383	38.30	-	-	0	-	-	-	-	-	38.30	तृतीय		
4	-	-	-		सोनी निषाद	राजेश निषाद	खुरमुण्डा	अन्यत्र ग्राम का निवास प्रमाण पत्र संलग्न है अतः अन्य ग्राम की निवासी होने के कारण अपात्र।																		
5	-	-	-		लक्ष्मी	देवलाल	निंगापुर	अन्यत्र ग्राम का निवास प्रमाण पत्र संलग्न है अतः अन्य ग्राम की निवासी होने के कारण अपात्र।																		

ग्राम पंचायत-गण्डईखुर्द के गण्डईखुर्द आंगनबाड़ी कमांक-02 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए ऑनलाईन द्वारा प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन पत्रक में वरिष्ठता क्रम तैयार कर आवेदिकाओं से सुसंगत दस्तावेजों के प्रतिलिपि के साथ दावा आपत्ति दिनांक 21/3/2026 से 30/3/2026 तक ई-मर्ती पोर्टल में अपना दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा आपत्ति के सुसंगत दस्तावेज प्रतिलिपि के अभाव में दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों प्रतिलिपि के अलावा अलग से किसी प्रकार का ऐसा दस्तावेज जिस पर अंक दिया जाना है, नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा ऐसे बाद में संलग्न दस्तावेजों पर अंक दिये जाने पर विचार नहीं दिये जायेंगे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बोड़ला जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड बोड़ला
जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बोड़ला जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

मुख्य नैर्यमान अधिकारी
जनपद पंचायत बोड़ला
जिला-कबीरघाम (छ.ग.)